"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2016—आश्विन 22, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 2-1/2008/1-8.—श्री रविशंकर शर्मा, उच्चतर न्यायिक सेवा सदस्य, रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं जांच) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, की सेवायें विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है. श्री रविशंकर शर्मा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005) संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री व संयुक्त सचिव, विमानन तथा संचालक, विमानन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्रमांक ई-1-1-2016/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें तथा संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, संपदा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) द्वारा संचालक, संपदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजय कुमार धुर्वे, भा.प्र.से. (2004), संयुक्त सचिव, गृह, जेल एवं परिवहन विभाग तथा संचालक, संपदा केवल संचालक, संपदा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्रमांक-एफ 4-1/2007/1-7.—श्री यशवंत कुमार सारथी, सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7850/2319/XXI-B/2016, दिनांक 17-08-2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को छत्तीसगढ़ लोक आयोग में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना हेतु सौंपी गई है. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा श्री यशवंत कुमार सारथी, सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर में उप सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्रमांक-बी-1-1/2016/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री जी. सी. नाहटा (रा.प्र.से.पी.-98 वरिष्ठ श्रेणी)	संयुक्त कलेक्टर, जिला-बीजापुर	संयुक्त कलेक्टर, जिला-महासमुंद
2.	श्री ओ. पी. सिंह (रा.प्र.से.पी.-08 वरिष्ठ श्रेणी)	संयुक्त कलेक्टर, जिला-कोरबा	संयुक्त कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय (रा.प्र.से.पी.-08 वरिष्ठ श्रेणी)	संयुक्त कलेक्टर, जिला-बालोद	संयुक्त कलेक्टर, जिला-बिलासपुर
4.	श्रीमती पुष्पा खरे श्रीवास्तव (रा.प्र.से.पी.-14 कनिष्ठ श्रेणी)	डिप्टी कलेक्टर, जिला-सरगुजा	डिप्टी कलेक्टर, जिला-बालोद

2. उपरोक्त स्थानांतरण के संबंध में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2016

क्रमांक-बी-1-1/2016/एक/4.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-09-2016 द्वारा श्री ओ.पी.सिंह (रा.प्र.से.पी-08 वरिष्ठ श्रेणी), संयुक्त कलेक्टर, जिला कोरबा को स्थानांतरित करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त कलेक्टर, जिला राजनांदगांव के पद पर किया गया है. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ओ.पी.सिंह (रा.प्र.से.) को संयुक्त कलेक्टर, जिला रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. उपरोक्त के संबंध में समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2016

क्रमांक ई 7-06/2005/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 (1) के प्रावधान अनुसार श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से. को दिनांक 22-10-2013 से 02-11-2013 तक (12 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 1672/485/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1523-1524/485/2010/1-8/स्था, दिनांक 09-08-2016 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 16-08-2016 से 19-08-2016 तक 04 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक 1674/867/अव./2016/1-8/स्था.—श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 11-07-2016 से 23-07-2016 तक 13 दिवस का (दिनांक 09, 10, 24-07-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 1813/886/2016/1-8/स्था.—श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 12-08-2016 से 19-08-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अनिल कुमार शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 1815/895/2016/1-8/स्था.—श्री बृजभूषण शर्मा, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 09-08-2016 से 19-08-2016 तक 11 दिवस का (दिनांक 20, 21-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बृजभूषण शर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बृजभूषण शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बृजभूषण शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 1817/722/2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग को दिनांक 16-08-2016 से 22-08-2016 तक 07 दिवस का (दिनांक 13, 14, 15-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक 1829/3808/2015/1-8/स्था.—श्री एन. एम. घोड़की, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 13-09-2016 से 16-09-2016 तक 04 दिवस का (दिनांक 10, 11, 12, 17, 18-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. एम. घोड़की आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. एम. घोड़की को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एम. घोड़की अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक 1831/132/2007/1-8/स्था.—श्री वीरेन्द्र गुप्ता, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-07-2016 से 31-07-2016 तक 07 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र गुप्ता आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वीरेन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वीरेन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्रमांक 1833/978/2009/1-8/स्था.—श्री पी.डी. पुरबिया, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 13-09-2016 से 16-09-2016 तक 04 दिवस का (दिनांक 10, 11, 12, 17, 18-09-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी.डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्रमांक 1849/372/2012/1-8/स्था.—श्री मुकुंद गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-08-2016 से 27-08-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 13, 14, 15, 28-08-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुंद गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुंद गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुंद गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक 1867/978/अव./2009/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1833-1834/978/अव./2009/1-8/स्था, दिनांक 08-09-2016 द्वारा श्री पी.डी. पुरबिया, अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूर्व में दिनांक 13-09-2016 से 16-09-2016 तक 04 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 12-09-2016 से 16-09-2016 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 08-09-2016 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्रमांक 1889/896/2016/1-8/स्था.—श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का, अवर सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 10-08-2016 से 25-08-2016 तक 16 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का आगामी आदेश तक अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्रमांक 8374/2287/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, रायपुर (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री किशोर ताम्रकार, अधिवक्ता को दिनांक 17-09-2014 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त

करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त सेवा अवधि पूर्ण होने की दशा में शासन की अनुमति के बिना सेवा अवधि विस्तारित नहीं मानी जावेगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2016

संशोधन

क्रमांक 9181/2453/21-ब/छ.ग./2016.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 7782-7783/2555/21-ब/छ.ग./2016 दिनांक 17-08-2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

उक्त आदेश के प्रथम पैरा में जहां पर भी शब्द "अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त लोक अभियोजक" अंकित है, उसके स्थान पर शब्द "शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्रमांक 8430/2328/21-ब (एक)/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (सन् 1984 का संख्या 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय, नियम 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित तालिका की कंडिका 2 में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु, तालिका की कंडिका 3 में वर्णित व्यक्तियों को अग्रिम आदेश तक के लिये, परामर्शदाता नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)		व्यक्ति का नाम (3)
1.	धमतरी	(1)	श्रीमती शशि सिंह गौर
		(2)	श्रीमती नीता नामदेव
		(3)	श्रीमती मोहिनी रानी गजेन्द्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंघल, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 11-1/2008/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य कर्मचारी सेवा शर्तें (प्रकीर्ण एवं विनियमन) अधिनियम 1955 के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को राज्य में

क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित राज्य मानीटरिंग समिति का पुनर्गठन करता है :—

1.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग	—	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/संचालक, जन सम्पर्क विभाग, छत्तीसगढ़	—	सदस्य
3.	श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर	—	सदस्य सचिव

समाचार पत्र के नियोजकों के प्रतिनिधि

1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक नवभारत समूह रायपुर	—	सदस्य
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक दैनिक भास्कर रायपुर	—	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक पत्रिका समाचार पत्र समूह रायपुर	—	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक दैनिक हरिभूमि पत्र रायपुर	—	सदस्य
5.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संचालक हितवाद दैनिक रायपुर	—	सदस्य

श्रमजीवी पत्रकार/गैर पत्रकार के प्रतिनिधि

1.	श्री अरविंद अवस्थी, ब्यूरो चीफ, न्यूज क्रियेशन, रायपुर	—	सदस्य
2.	श्री संदीप झा, ब्यूरो चीफ, हरिभूमि, नारायणपुर	—	सदस्य
3.	श्री मनीष गुप्ता, सदस्य, समाचार पत्र कर्मचारी संघ, जगदलपुर	—	सदस्य
4.	श्री शिवकुमार वर्मा, अध्यक्ष, समाचार पत्र कर्मचारी संघ, रायपुर	—	सदस्य
5.	श्री संजय चौबे, सदस्य, समाचार पत्र, कर्मचारी संघ, बिलासपुर	—	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस, उप-सचिव.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 10-2/2016/9.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 150/68104-05/9 दिनांक 31 मार्च 2005 द्वारा "प्रोत्साहन नियम 2005" जारी किए गए हैं. उक्त नियम के नियम 5 (ह) 2.6 के आगे निम्नानुसार जोड़ा जाता है, अर्थात्

परिवर्धन

5 (ई) ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि.

5 (ई) 1 ओलम्पिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को रु. 10.00 लाख (दस लाख) प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

2. यह परिवर्धन, माह अगस्त 2016 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. बन्जारे, अपर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2016

क्रमांक एफ 3-18/2016/गृह-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25-06-2011 द्वारा जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी गिधौरी का थाने में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा पुलिस मुख्यालय के प्रस्तावानुसार जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्वीकृत "थाना गिधौरी" का नामकरण "थाना गिधौरी-टुण्डरा" किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्रमांक 2812/एफ 12/02/2015/13/2/ऊ.वि.—यत:, राज्य शासन की यह राय है कि छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा से संबंधित क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जनहित में यह आवश्यक है कि ऐसी इकाईयों को विद्युत केप्टिव उपभोग पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 3-ख सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के खण्ड 6.7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पात्र इकाईयों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसके स्वयं के द्वारा उपभोग किये गये विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

1. राज्य में स्थापित इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 12 (बारह) वर्ष की कालावधि के लिये उनके स्वयं द्वारा उपभोग किये गये विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से 100% छूट की पात्रता रहेगी.

2. यदि छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 के अंतर्गत स्थापित कोई भी इकाई, इकाई के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से प्राप्त कनेक्शन के अतिरिक्त केप्टिव विद्युत जनरेटर की स्थापना करती है, तो उसे केप्टिव विद्युत जनरेटर द्वारा इकाई को प्रदाय की गई विद्युत पर भी, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 12 (बारह) वर्ष की कालावधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से 100% छूट की पात्रता रहेगी.

3. अधिसूचना जारी होने के पश्चात् स्थाई विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं से संबंधित इकाई, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के लिये, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिवस के भीतर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स द्वारा सम्यक् रूप से अनुशंसित आवेदन एकल खिड़की (सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम)/मेन्युअली, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करेगा.

4. इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं से संबंधित इकाई, जो अधिसूचना जारी होने के पश्चात् विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की सुविधा प्राप्त करने हेतु स्थाई कनेक्शन हेतु जारी डिमाण्ड नोट जमा किया हो, छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रानिक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014-19 की शर्तों के पालन करने संबंधी प्रमाण पत्र सहित सम्यक् रूप में अनुशंसित आवेदन, प्रस्तुत करेगा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स ऐसे आवेदन को आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर मुख्य विद्युत निरीक्षकालय को अग्रेषित करेगा.

5. इस अधिसूचना के खण्ड 3 एवं 4 के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स से सम्यक् रूप से अग्रेषित आवेदन की प्राप्ति पर, मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के विचारोपरान्त, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 (बारह) वर्ष की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी प्रमाण पत्र जारी करेगा और प्रमाण पत्र की प्रति, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के संबंधित कार्यालय को पृष्ठांकित की जायेगी.

6. इकाई द्वारा स्थापित केप्टिव जनरेटर के मामले में, विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन, इकाई को केप्टिव जनरेटर के संचालन के पूर्व मुख्य विद्युत निरीक्षकालय से अनुमति प्राप्त कर स्थाई विद्युत कनेक्शन के लिये जारी प्रथम विद्युत देयक के साथ प्रस्तुत किया जायेगा. ऐसा आवेदन पर विचार करने के उपरांत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 (बारह) वर्ष की अवधि के लिए, केप्टिव जनरेटर से इकाई को प्रदायित विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र, 30 दिवस की अवधि के भीतर जारी करेगा.

7. इकाई द्वारा स्थापित केप्टिव पॉवर जनरेटर के मामले में, प्रमाण पत्र में उल्लिखित छूट की अवधि की समाप्ति पर तत्समय लागू टैरिफ में सम्मिलित विद्युत प्रभार के अनुसार विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जायेगा.

8. यह अधिसूचना 01 नवम्बर 2014 से प्रभावशील रहेगी.

No. 2812/F-12/02/2015/13/2/ED.—Whereas, the State Government is of the opinion that to Encourage investment in Electronics, Information Technology and Information Technoloy Service related sectors in the State under the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19, it is necessary for the public interest that such units should be exempted from the payment of electricity duty on captive consumption of power;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949) read with clause 6.7 of the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19, the State Government, hereby, gives exemption to eligible units from the payment of electricity duty on electricity consumed by its own unit under following conditions :—

1. Units established in the State shall be eligible for 100% exemption from the payment of electricity duty on electricity consumed by its own unit for the period of 12 (Twelve) years from the date of commencement of commercial production.

2. In case any unit established under Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19, establishes captive generator other than connection obtained from Chhattisgarh State Power Distribution Company for operation of unit, then it shall also be eligible for 100% exemption from the payment of electricity duty on electricity generated by captive generator for the period of 12 (Twelve) years from the date of commencement of commercial production.

3. Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Service related units having permanent electricity connection after issuance of notification of exemption from payment of electricity duty shall submit an application in single window clearance system/manually, duly recommended by CEO, Chips to Chief Electrical Inspectorate within 90 days from date of commencement of commercial production.

4. Electronics, Information Technology and Information Technology enabled Service related units who have deposited the demand note charges for permanent electricity connection after issuance of notification for facility of exemption from the payment of electricity duty shall submit a duly recommended application along with the certificate regarding compliance of the conditions stipulated in Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh 2014-19 and CEO, Chips shall forward such application to Chief Electrical Inspectorate within 30 days from date of receipt of an application.

5. On receipt of an application duly forwarded from CEO, Chips as per clause 3 & clause 4 of notification, in due consideration Chief Electrical Inspectorate shall issue a certificate of exemption from payment of electricity duty for the period of 12 (Twelve) years from date of commencement of commercial production and the certificate shall be endorsed to respective office of Chhattisgarh State power Distribution Company Limited.

6. In case where captive generator is installed by the Unit, an application for exemption from payment of electricity duty shall be submitted along with the first electricity bill issued for permanent connection and permission obtained for operation of captive generator from Chief Electrical Inspectorate. In due consideration of such application Chief Electrical Inspectorate shall issue the certificate for the period of 12 (Twelve) years from date of commencement of commercial production for exemption from payment of electricity duty on electricity supplied by captive generator to the unit within the time period of 30 days.

7. In case where captive power generator installed by unit, on expiration of exemption period mentioned in the certificate, electricity duty shall be imposed as per electricity charges in the tariff due in force.

8. This notification will be effective from 1st November, 2014.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्रमांक-एफ 7-49/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 654/156/xxxiii, दिनांक 27-6-1975 एवं संशोधित निवेश क्षेत्र अधिसूचना क्रमांक 009/एम.एन./23 जि.यो.स./99 दिनांक 14 जून, 1999 द्वारा गठित धमतरी निवेश क्षेत्र में अनुसूची-1 में दिये गये ग्राम देमार, खपरी, तेलीनसत्ती एवं उसलापुर को शामिल करती है, पुनर्गठित धमतरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं अनुसूची-दो में परिभाषित हैं :—

अनुसूची-1

धमतरी निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम

ग्राम देमार, खपरी, तेलीनसत्ती एवं उसलापुर.

अनुसूची-2

धमतरी निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम मुजगहन, खपरी, देमार, उसलापुर, तेलीनसत्ती एवं सम्बलपुर ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सम्बलपुर, सेहराडबरी, शंकरदाह, कानीडबरी एवं कोलियारी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कोलियारी, करेठा, रूद्री, भटगांव एवं श्यामतराई ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम श्यामतराई, सोरिदभाट, रत्नाबांधा एवं मुजगहन ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

क्रमांक 66/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी प.ह.नं. 06	10.36	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2013-14.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कुरमापाली, प.ह.नं.-18, तहसील रायगढ़ व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.948 हे. केलो परियोजना अंतर्गत औराभाठा माईनर नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 31-01-2014 तथा दिनांक 16-05-2014 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से खसरा नं. 119/3 रकबा 0.097 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने

के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कुरमापाली

क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	119/3	0.097
	कुल खसरा 01	**रकबा 0.097**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	नवागांव प.ह.नं. 40	1.873	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय-चाम्पा (छ.ग.).	कुदरी बैरॉज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 34/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-पचरा, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.328 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5/3	0.085
	47/2	0.243
योग	2	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैनकोटा जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 37/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-दारसागर, प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.455 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	37/5	0.020
	37/6	0.020
	37/7	0.020
	37/8	0.020
	37/9	0.020
	37/10	0.020
	37/12	0.020
	41/1 न	0.032
	41/1 ग 1	0.040
	41/1 ग 2	0.061
	41/1 ग 3	0.040
	41/1 ख	0.142
योग	12	0.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक/549/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत अर्जुन्दा/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुण्डरदेही एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 01-07-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम डुडिया, मटेवा, माटिया, खैरबना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम खैरबना, कांदुल, खपरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खपरी परसतराई, बोरगहन, मनकी, टेलीटोला की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम टेलीटोला, कठिया, डुडिया की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, अर्जुन्दा.

No./549/ELU/Arjunda/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Arjunda planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 01-07-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Arjunda/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Gunderdehi & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Arjunda Planning Area is defined in the schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Arjunda Planning Area

NORTH : Village Dudiya, Matewa, Matiya village Khairbana up to North Boundary.
EAST : Village Khairbana, Kandul village Khapri up to East Boundary.
SOUTH : Village Khapri, Parastarai, Borgahan, Manki village Telitola up to South Boundary.
WEST : Village Telitola, Kathiya vilalge Dudiya up to West Boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or Inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat Arjunda.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th September 2016

No. 72/I-7-3/2016 (Pt.-I).—In partial modification of the Calendar of the High Court for the year 2016, 13-09-2016 is declared as holiday for the High Court and Registry on account of Id-Ul-Zuha (Bakrid) in addition to the holiday already declared for 12-09-2016.

Bilaspur, the 15th September 2016

No. 654/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt.-III).—Shri Blacious Toppo, Member of Higher Judicial Service and the then Chairman, Permanent Lok Adalat, Bilaspur is transferred and appointed as Officer-On-Special Duty in the Establishment of the High Court with immediate effect till further orders.

Bilaspur, the 20th September 2016

No. 658/Confdl./2016/II-2-4/2002.—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 588/Confdl./2015/II-2-4/2002 dated 06-08-2015, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Brijendra Kumar Shastri	01-04-2016
2.	Smt. Satyabhama Ajay Dubey	01-07-2016
3.	Shri Chandra Kumar Ajgalley	01-08-2016
4.	Shri Maneesh Kumar Thakur	01-09-2016

Bilaspur, the 20th September 2016

No. 660/Confdl./2016/II-3-2/2002 (Part-II).—The following Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 1061/Confdl./2015/II-3-2/2002 (Part-II) dated 04-12-2015, are, hereby confirmed in the Lower Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Diamond Kumar Gilhare	02-04-2016
2.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi	01-07-2016
3.	Shri Sameer Kujur	01-08-2016
4.	Shri Janak Kumar Hidko	18-08-2016
5.	Shri Janardan Khare	31-08-2016
6.	Shri Gerjesh Pratap Singh	01-09-2016

Bilaspur, the 22nd September 2016

No. 672/Confdl./2016/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the application of Smt. Pragya Pachouri, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Bilaspur, she is hereby, permitted to amend her name as 'Dr. Pragya Pachouri' in place of 'Smt. Pragya Pachouri'. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By order of Hon,ble the Chief Justic,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 19th September 2016

No. 7629/III-6-1/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

(1) Shri Gulapan Ram Yadav, J.M.S.C., Raipur,
(2) Shri Satyanand Prasad, J.M.S.C., Raipur,
(3) Ku. Neha Usendi, J.M.S.C., Raipur,
(4) Shri Anant Deep Tirkey, J.M.S.C., Raipur,
(5) Shri Bhavesh Kumar Watti, J.M.S.C., Raipur,
(6) Smt. Kanchan Lata Achala, J.M.S.C., Raipur,
(7) Shri Lokesh Kumar, J.M.S.C., Raipur,,
(8) Ku. Amita Jaiswal, J.M.S.C., Raipur,
(9) Ku. Deepti Singh Gaur, J.M.S.C., Raipur,
(10) Shri Aslam Khan, J.M.S.C., Raipur,
(11) Shri Shiv Prakash Tripathi, J.M.S.C., Raipur,
(12) Shri Vivek Netam, J.M.S.C., Raipur,
(13) Ku. Bhawana Nayak, J.M.S.C., Raipur,

(14) Shri Dilli Singh Baghel, J.M.S.C., Bilaspur,
(15) Shri Bhaskar Mishra, J.M.S.C., Bilaspur,
(16) Smt. Nidhi Sharma, J.M.S.C., Bilaspur,
(17) Shri Pallve Raghuvanshi, J.M.S.C., Bilaspur,
(18) Smt. Prateeksha Sharma, J.M.S.C., Bilaspur,
(19) Ku. Deepa Suchita Tirkey, J.M.S.C., Bilaspur and
(20) Ku. Anjali Singh, J.M.S.C., Baikunthpur.

Bilaspur, the 19th September 2016

No. 7631/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers upon Ku. Anjali Singh, Judicial Magistrate First Class, Baikunthpur to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the High Court,
RAJNI DUBE, I/c Registrar General.